

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)

देहरादून: दिनांक 29 अगस्त, 2018

विषय: रिट याचिका संख्या-1105/2014 श्रीमती लक्ष्मी पाण्डे तिवारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 954/XXIV(1)/2013 15/2004VOLIII, दिनांक 31.03.2014 एवं आपके पत्रांक: वि०प्र०-10(05)/1105(14)/4351/2018-19, दिनांक 31 मई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्रोतों के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये सम्बन्धी वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 190/XXVII(7)34(1)/2009, दिनांक 12.09.2017 (छायाप्रति संलग्न) एवं भारत सरकार के मातृत्व हितलाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 (The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017) तथा तत्सम्बन्धी श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) के प्राविधानों के अधीन प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षा मित्रों को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3- इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या: 995/XXIV(1)/2006-15/2004, दिनांक 03.01.2007 एवं शासनादेश संख्या: 954/XXIV(1)/2013-15/2004Vol III, दिनांक 31.03.2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या-6)-234 /XXIV(1)/2018/ w-234/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड/राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड एस०एस०ए०, उत्तराखण्ड।

4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, प्रा०शि०।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Joshie
(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव